Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरबन्शसिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफडीएम तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.–50/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.03.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं पैरोकार राज हाजिर। वकील अपीलांट ने फार्म न. 3 के साथ दस्तावेजात पेश किये जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से जैर अपील रकबा के संबध में रिपोर्ट मंगवाई जो उनके पत्रांक राजस्व/2023/162 दिनांक 17.02.2023 द्वारा प्राप्त हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।	

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ ने जैर अपील भूमि चक 7 एफडीएम के पत्थर न. 99/340 की 5.692 है0 भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए गिरदावर हल्का को फसल कुर्क करने, कुर्क फसल नीलाम करने, मालगुजारी का 50 गुणा तावान राशि, तथा अपीलांट को तीन माह अर्थात 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित कर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना ही नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में अपीलांट को पश्चावर्ती नाजायज काश्तकार मानकर कानूनी भूल की है। अपीलांट को पहले कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा पडोसियों को खातेदारी रकबा को ही हिस्सा ठेका पर काश्त किया हुआ है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। पटवारी हल्का ने कुछ लोगो के कहने पर झूठी रिपोर्ट कर दी व उसी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्त किया जावे।

पेरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने जैर अपील रकबा पर नाजायज काश्त कर रखी है। जैर अपील आदेश. विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा जैर अपील आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलबध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या निगरानी एलआर संख्या 47/2016/ श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2018 के अवलोकन से पाया कि अपीलांट के पिता हरबन्श सिंह द्वारा भी इसी रकबा यथा चक 7 एफडीएम के पत्थर न. 99/340 की 5.692 है0 पर अतिकमण कर काश्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2015 पारित कर अतिक्रमी हरबंश सिंह पर शास्ति रोपित करने, काश्त फसल जप्त करने, रकबा से बेदखल करने तथा अतिक्रमी हरबंश सिंह को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील दायर की गई जो दिनांक 18.12.2015 को आंशिक स्वीकार की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 18.2015 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 47/2016 दायर की गई। उक्त निगरानी में माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 27.12.2018 में हरबंश सिंह का पश्चातवर्ती अतिकमण माना है। हरबंश सिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं करने बाबत अण्डर टेंकिग देने पर माननीय मण्डल द्वारा उसकी निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दी गई तीन माह के सिविल कारावास की सजा शर्तो के अध्यधीन निरस्त कर दी। तत्पश्चात हरबंश सिंह के पुत्र भूपेन्द्र सिंह द्वारा उसी आराजी यथा चक 7 एफडीएम के पत्थर न. 99/340 की 5.692 है भूमि पर अतिकमण कर काश्त कर ली गई जिसके [illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रकरण संख्या 08/2022 अनवान [illegible] बनाम भूपेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधि. 1954 के तहत दायर कर जैर [illegible] आदेश दिनांक 02.03.2022 जारी कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण के अवलोकन से यह साबित है कि पहले तो हरबंश सिंह द्वारा जैर अपील भूमि पर अतिक्रमण किया गया था परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 27.12.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना में शपथ–पत्र दिये जाने पर ही उसकी तीन माह का सिविल कारावास की सजा शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त की गई थी। अब हरबंश सिंह ने अपने पुत्र भूपेन्द्र सिंह को जैर अपील भूमि पर कब्जा करवा दिया है। पत्रावली में उपलबध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण अपील संख्या 09/2021 अनवान कुलतार सिंह आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के अवलोकन से पाया कि जेर अपील भूमि होशियार सिंह पुत्र मोतीराम को बतौर पौंग बांध विस्थापित के तहत दिनांक 24.11.1966 को आवंटन थी जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 09.03.2021 द्वारा पुनः बहाल कर दी गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में ऐसा कोई भी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि जैर अपील भूमि अपीलांट को आवंटित हुई है। लिहाजा अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिमक्रमी की श्रेणी में आता है।

पत्रावली की अपील मीमों का गहनता से अध्ययन करने से पाया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2022 जिसके द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए भू–राजस्व गिरदावर को फसल कुर्क करने, नीलाम करने व तीन माह अर्थात 90 दिवस के सिविल करावास से दण्ड़ित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये है, को निरस्त करवाने की प्रार्थना की है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पारित निर्णय में मात्र मौके पर खडी फसल को जब्त करने के ही आदेश दिये गये है, जो अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त फसल जब्ती आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त करना हम उचित समझते है। अपील मीमों में अंकित शेष तथ्य यथा फसल नीलाम करने तथा अपीलांट को तीन माह अर्थात 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश के संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है ना कि कोई आदेश पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का फसल जब्ती संबंधी आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व को इस आश्य के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.03.2021 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। अपीलांट दिनांक 10/4/2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवें। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीसूरतगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner